

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

देहरादून: दिनांक : 17 सितम्बर, 2020

विषय:- **COVID अस्पताल में Oxygen Therapy दिये जाने हेतु चिकित्सकों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आप विदित ही हैं कि कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु समय—समय पर दिशा—निर्देश निर्गत किए गए हैं एवं कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों के उपचार हेतु उचित व्यवस्था की जा रही है। दिनांक 11 सितम्बर, 2020 को सम्पन्न हुई वीडियो कांफ्रेंस के दौरान दिए गए निर्देशों का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिसमें कोविड-19 पॉजिटिव गम्भीर मरीजों के उपचार के लिए प्रत्येक जनपद स्तर पर अधिसूचित किए गए अस्पतालों में Oxygen Therapy दिये जाने के लिए प्रशिक्षित चिकित्सक और पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी दूर करने के सम्बन्ध में विचार—विमर्श हुआ था। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आप अपने—अपने जनपद के अन्दर तैनात कम से कम 06 चिकित्साधिकारियों को नामित करते हुए, उन्हें कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों के उपचार के साथ—साथ Oxygen Therapy दिये जाने के सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु गढ़वाल मण्डल के लिए दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल, देहरादून तथा कुमायूँ मण्डल के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल, हल्द्वानी में भेजने का कष्ट करें। सम्बन्धित चिकित्साधिकारी प्रत्येक दशा में दिनांक 21 सितम्बर, 2020 तक सम्बन्धित अस्पताल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे। अतः उक्तानुसार तत्काल कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या-203 / पीएस / 2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के अवलोकनार्थ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
4. कुलपति, हे.न.ब.चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून।
5. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड।
6. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, देहरादून/राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ कि कृपया उपरोक्तानुसार अपने—अपने अस्पताल में प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

17/11/2020
(डॉ पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव(प्रभारी)